न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०– एम०–124 / 18

धारा–107 द०प्र०सं०

सविता देवी वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

उषा कुमारी वगैरह..................द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
10/05/2019	प्रस्तुत वाद में थाना बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या–26 / 18 दिनाक–19 / 08 / 2018 द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह विवाद बिचका टोली स्थित मकान को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें परस्पर एक दूसरे से शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष ने अपने कारणपृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि मौजा बुण्डू थाना संख्या–28, खाता संख्या–208, प्लॉट–129 रकबा–3 डी0 जमीन प्रथम पक्ष के पति–पूर्णचन्द महतो के नाम से दिनांक–18.06.1997 को केवाला पट्टा द्वारा खरीदा गया है। इनकी मृत्यु दिनांक–08 / 04 / 2002 को हुआ है। उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष सविता देवी के द्वारा ही मकान बनाया गया है, जो बिचका टोली, बुण्डू में स्थित है। ये घर 2005 में बनकर तैयार हुआ है। प्रथम पक्ष की मझली बेटी उषा कुमारी और दामाद दिवाकर महतो बुरी नियत से उक्त मकान को हड़पने की योजना बनाने लगे है। 6 माह पहले इन दोनों के द्वारा उक्त मकान में आकर कमरे का दरवाजा तोड़कर उसमें रखे जमीन के कागजात अपने साथ ले गए तथा माँगने पर आना कानी करते है तथा फोन पर जान से मार देने की धमकी दिया करते है तथा डर है कि इनकी छोटी बेटी एवं इनके मकान किरायेदार के साथ कुछ अप्रिय घटना न हो। द्वितीय पक्ष ने अपने कारणपृच्छा मे प्रतिवेदित किया है कि मौजा बुण्डू, थाना संख्या–28, आर.एस. खाता संख्या–208, प्लॉट–129 रकबा–3 डी0 जमीन पर निर्मित मकान पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि को पूर्णचन्द्र महतो पिता–स्व0 श्याम बिहारी महतो द्वारा निबंधित विक्री पट्टा से दिनांक–18.06.1997 को खरीदा गया है एवं तब से उनके दखल में था। द्वितीय पक्ष संख्या–01 उषा कुमारी, स्व0 पूर्ण चन्द्र महतो की पुत्री तथा द्वितीय पक्ष संख्या–02 दिवाकर महतो, स्व0 पूर्ण चन्द्र महतो के दामाद है। प्रश्नगत भूमि मकान सहित जो द्वितीय पक्ष के पूर्णतः दखल कब्जे में है उसे प्रथम पक्ष बेचने का प्रयास कर रही है। द्वितीय पक्ष पार्टी संख्या–1 उषा कुमारी एवं उसकी बहन पूजा कुमारी ने पूर्वजों से प्राप्त एवं पिता द्वारा खरीदी गई समूचे जमीन मे बँटवारा हेतु सब जज–1, राँची के न्यायालय मे बँटवारा वाद संख्या–486 ऑफ 2018 दायर किया है। प्रथम पक्ष का इरादा द्वितीय पक्ष को परेशान करना है इसलिए उन्होने द्वितीय पक्ष पर झूठा एवं मनगढ़न आरोप लगाया है। प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर न तो कोई दावा है न ही कोई अधिकार है न ही दखल कब्जा है कि वे द्वितीय पक्ष के शांतिपूर्ण दखलकब्जा में बाधा डाले। प्रथम पक्ष स्वतंत्र गवाह 1 :– अमर भगत पिता–स्व0 बनारसी भगत ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं किराए के मकान में बिचका टोली में रहता हूँ, जिस मकान मे रहता हूँ वह पूर्णचन्द्र महतो के नाम से खरीदा हुआ है, जो प्रथम पक्ष के पति है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच बेटी–दामाद का रिश्ता है। प्रथम पक्ष के घर का दरवाजा गुस्सा में उनका दामाद तोड़ा था। जमीन के कागजात ले जाने के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। द्वितीय पक्ष के सदस्य मुझे मकान खाली करने के लिए बोले थे, धमकी नहीं दिए थे। उभय पक्ष के बीच मेरे सामने लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कभी भी प्रथम पक्ष को गाली गलौज करते मैं नहीं सुना हूँ। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:–सविता देवी पति स्व0 पूर्ण चन्द्र महतो ने अपने गवाही के परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं केस में प्रथम पक्ष हूँ। घटना 19 / 08 / 18 की है। 19 / 08 / 18 के पहले द्वितीय पक्ष घर का दरवाजा तोड़कर जमीन का कागजात ले गए थे। द्वितीय पक्ष मुझे फोन पर गाली गलौज कर रहा था और धमकी भी दिया था। इसलिए केस की हूँ। विवादित जमीन मौजा बुण्डू थाना संख्या–28 खाता संख्या–208 प्लॉट 129 रकबा–03 डी0 मेरे पति स्व0 पूर्णचन्द्र महतो के नाम से खरीदा गया है। मेरे पति की मृत्यु दिनांक–08 / 04 / 2002 में हुई। उक्त 03 डी0 में घर बना हुआ है, जिसे मैं बनाई हूँ।मेरी चार बेटी है। सिर्फ दो बेटी ही हिस्सा बँटवारा मांग रही हैं। उषा कुमारी एवं पूजा कुमारी बँटवारा नामा के लिए राँची सिविल कोर्ट मे केस किए है। बँटवारा वाद संख्या–486 / 18 है। केस होने के बाद द्वितीय पक्ष आजतक किसी प्रकार का गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, धमकी आदि नही दिया है।

तिथि	आदेश
	<u>द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह संख्या–1</u> शिव कुमार, पिता–स्व0 राम नक्षत्र महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष के दिवाकर महतो एवं उषा कुमारी अच्छे हैं। यह बात गलत है कि द्वितीय पक्ष के दिवाकर महतो और उषा कुमारी घर का दरवाजा तोड़कर जमीन का कागजात ले गए हैं। बँटवारा केस का कारण यह है कि सविता देवी सबकुछ बेचना चाहती है। केस होने के बाद उभय पक्ष में लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। <u>द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह</u> उषा कुमारी, पति–दिवाकर महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह बात सच नहीं है कि हमलोग विचका टोली से जमीन का कागजात दरवाजा तोड़कर चुरा लिए है। 19/08/2018 को सविता देवी हमलोग के विरुद्ध केस की है, यह बिलकुल ही झूठा केस है। पार्टीशन सूट रोकने के लिए यह केस किया गया है। प्रथम पक्ष किसी और के साथ मिलकर पैतृक सम्पत्ति को बेचकर जाना चाहती है। यही विवाद का कारण है। जमीन को न बेच सके। इसके लिए हमलोग पार्टीशन सूट का केस किए है। जिसका केस संख्या–486/2018 है। वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि यह विवाद पैतृक सम्पत्ति में दावेदारी को लेकर उत्पन्न हुआ, इससे संबंधित पार्टीशन सूट केस संख्या–486/2018 सक्षम न्यायालय में चल रहा है। वर्तमान में शांति–व्यवस्था कायम है तथा शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं हो पायी है। अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 10/05/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) 10/05/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.26 15:11:23 +05:30
Location: 10.93.79.5